अंत्योदय सरल

हरियाणा महिला विकास निगम

विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना

पात्रता

- केवल हरियाणा निवासी विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
- ईएमआई के भुगतान में चूक के मामले में विलंबित अवधि पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
- ऋण आवेदन के समय संभावित लाभार्थी की आयु 18-55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

लाभ

1. कुल ऋण पर 25% फ्लैट सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 50,000 रुपये होगी, पूंजी सब्सिडी के रूप में नहीं। ऋण वितरण के बाद तीन महीने तक स्थगन अवधि होगी।
2. लाभार्थी का हिस्सा कुल ऋण का 10% होगा।
3. यह योजना बैंक द्वारा बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के कवर की जाएगी।
4. वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंकों से शेष राशि।
5. अधिकतम ऋण सीमा 3.00 लाख रुपये है।

आवशयक दस्तावेज़

- बैंक खाता विवरण
- पारिवारिक पहचान पत्र / पीपीपी (परिवार पहचान पत्र)
- अधिवास प्रमाण पत्र / हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- ब्याज अनुदान दस्तावेज़
- आवेदक की तस्वीर
- पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
- तलाक का कानूनी कागज़
- कानूनी रूप से अलग होने का दस्तावेज़

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार

कोई शुल्क नहीं	रु. 10/-	रु. 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 30 दिन